न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 141/2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः–88,53 आरटीए

धर्मपाल पुत्र स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ – वादी

बनाम्

1. सत्यनारायण पुत्र स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
2. इन्द्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्री लाधूराम जाति जाट निवासी ताखरावाली तह.व जिला श्रीगंगानगर।
3. गीता पत्नी रामकुमार पुत्री लाधूराम जाति जाट निवासी ताखरावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।
4. गिरदावरी पत्नी रामरख पुत्री स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी 34 एलएनपी पदमपुर घमूरवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री भीम सिह छिम्पा–वकील वादी
2– श्री अमित बिश्नोई–वकील प्रति.सं. 1 ता 4

निर्णय

दिनांक :– 1-6-2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि चक 6 एएमपी जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 88/63 का कुल खाता 0.949 है. नहरी मय गैर मु. कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता स्व. लाधूराम पुत्र पूर्णराम के नाम व इसी चक का खाता संख्या 99/74 प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि को लेकर वादी व प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरचित प्रावधानों को ध्यान में रखकर घरू विभाजन अच्छी मन्दी भूमि को लेकर रास्ता खाला व काश्त की सुविधानुसार कर लिया है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहनों ने अपने अपने विरास्तन हक व हिस्से का परित्याग घरू विभाजन के रोज वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में बहिब किया हुआ है अब वो वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है। घरा घरू विभाजन में आयी भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की शान्ति पूर्वक फसल काश्त है। घरा घरू बंटवारा नामा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आयी भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1. वादी धर्मपाल पुत्र स्व. लाधूराम के हक हिस्सा की भूमि :– चक 6 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 प.न. 168/147 मु.न. 28 किला नम्बर 1/1/0.127, 10/1/0.127 प.न. 167/147 मु.न. 29 किला नम्बर 5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु.खाला,
2. प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण पुत्र स्व. लाधूराम के हक हिस्सा की भूमि :– चक 6 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 प.न. 168/147 मु.न. 28 किला नम्बर 1/1/0.063, 2,3/0.506

उपरोक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की घरा घरू बंटवारानामा अनुसार बिना किसी बाधा के शानित पूर्वक फसल काश्त चली आ रही है। वाद भूमि घराघरू बंटवारानामा व कब्जा काश्त अनुसार वादी के नाम नही होने के कारण आये दिन सीव बंट रकम. राज आबयाना व पानी की बारी इत्यादि को लेकर बिना वजह विवाद रहता है। जबकि वादी अपने हक हिस्सा में आयी घरा घरू बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त की भूमि की घोषणा करवा खाता अलग करवाने के अधिकारी एव दावेदार है। घरा घरू बंटवारानामा अनुसार चक 6 एएमपी के खाता संख्या 88/63 से स्व. लाधूराम पुत्र पुर्णराम का नाम कलमजन कर व इसी चक के खाता संख्या 99/74 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा में से 0.127 है. हिस्सा का घरू बंटवारानामा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 खातेदार काश्तकार घोषित करवा कब्जा काश्त मुताबिक खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी एव दावेदार है। वादी ने प्रतिवादीगण से नम्र निवेदन किया किय वो वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित वादी के हक हिस्सा में आई कब्जा काश्त की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी

वादभूमि का वादी को खातेदार काश्तकार मानकर खाता अलग अलग कायम करवा लेवे। तो पहले तो वो आजकल आजकल करते रहे। बाद में ऐसा करने से स्पष्ट ईन्कार कर दिया। बस यही वादकारण है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के संदस्य होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 5 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनके विरूद्व प्रत्यक्षत कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद वादी घोषणात्मक हक व खाता तकसीम का है। जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। जो काबिल समायत अदालत व अन्दर मियाद है।

अतः वाद पत्र वादीगण बहक विरूद्व प्रतिवादीगण निम्नप्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णितानुसार कब्जा काश्त की वादभूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर कब्जा काश्त मुताबिक वादी का खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज आबियाना अलग से जमा करवाया जावे एव चक 6 एएमपी के खाता सख्या 68/63 से स्व. लाधूराम पुत्र पूर्णराम का नाम कलमजन कर व खाता संख्या 99/74 से प्रतिवादी संख्या 1 का 0.127 है. हिस्सा कम कर घरू विभाजन अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता अपना जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी धर्मपाल ने अपना शपथ–पत्र अर्न्तगत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया, और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, इस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी निम्नानुसार प्रदर्श/प्रस्तुत किये गये चक 6 एएमपी खाता संख्या 88/63 ज.स. 2071–74 प्रदर्श–1 व चक 6 एएमपी खाता संख्या 99/74 ज. स. 2071–74 प्रदर्श–2 एव चन्दो देवी व लाधूराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिया प्रस्तुत की गई।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुंनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एक ही कुटुम्ब समुदाय के व्यक्ति है वादग्रस्त कृषि भूमि है जो हमारी जद्दी जायदाद है जिसका हमने अच्छी मन्दी अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादीगण व प्रतिवादीगण आपस मे सहमत है और सहमति का जवाब दावा भी पेश हो चुके है एवं वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकिल प्रतिवादीगण ने भी वाद पत्र को मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 1 एसएनजी खाता संख्या 76/55 ज.स. 2071–74 व चक 2 एफटीपी खाता संख्या 151/133 ज.स. 2075–78 में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर अपना हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
मंगरिया

सहायक कलेक्टर एव उप खण्ड अधिकारी

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र मुताबिक जवाब दावा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि तहसील संगरिया के चक 6 एएमपी के खाता सख्या 68/63 से स्व. लाधूराम पुत्र पूर्णराम का नाम कलमजन करने तथा खाता संख्या 99/74 से प्रतिवादी संख्या 1 का 0.127 है. हिस्सा कम किया जाकर वादी एव प्रतिवादी को निम्नानुसार अराजी के खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार इनका खाता अलग–अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

1. वादी धर्मपाल पुत्र स्व. लाधूराम के हक हिस्सा की भूमि :– चक 6 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 प.न. 168/147 मु.न. 28 किला नम्बर 1/1/0.127, 10/1/0.127 प.न. 167/147 मु.न. 29 किला नम्बर 5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु.खाला,
2. प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण पुत्र स्व. लाधूराम के हक हिस्सा की भूमि :– चक 6 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 प.न. 168/147 मु.न. 28 किला नम्बर 1/1/0.063, 2,3/0.506

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पंत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 1-6-2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88/53 आरटीए

प्रकरण संख्याः– 141/2026

धर्मपाल पुत्र स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ – वादी

बनाम.

1. सत्यनारायण पुत्र स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
2. इन्द्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्री लाधूराम जाति जाट निवासी ताखरावाली तह.व जिला श्रीगंगानगर।
3. गीता पत्नी रामकुमार पुत्री लाधूराम जाति जाट निवासी ताखरावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर।
4. गिरदावरी पत्नी रामरंख पुत्री स्व. लाधूराम जाति जाट निवासी 34 एलएनपी पदमपुर घमूरवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री भीमसिह छिम्पा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री अमित बिश्नोई वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 6 एएमपी के खाता सख्या 68/63 से स्व. लाधूराम पुत्र पूर्णराम का नाम कलमजन करने तथा खाता संख्या 99/74 से प्रतिवादी संख्या 1 का 0.127 है. हिस्सा कम किया जाकर वादी एव प्रतिवादी को निम्नानुसार अराजी के खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार इनका खाता अलग–अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

3. वादी धर्मपाल पुत्र स्व. लाधूराम के हक हिस्सा की भूमि :– चक 6 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 प.न. 168/147 मु.न. 28 किला नम्बर 1/1/0.127, 10/1/0.127 प.न. 167/147 मु.न. 29 किला नम्बर 5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु.खाला,
4. प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण पुत्र स्व. लाधूराम के हक हिस्सा की भूमि :– चक 6 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 प.न. 168/147 मु.न. 28 किला नम्बर 1/1/0.063, 2,3/0.506

नोटः– वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज ✗ नल ✗ मुब्लिक ✗ निल ✗ बाबत ✗ निल ✗ खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ✗ अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 1-6-2026 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया